



फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अर्जीत सिंह बनाम अंगाराम (वगैरा)

रूम मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 23 सन 2023

क्र	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख म जारी हुए
23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक <u>2.2.23</u> को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>28 $\frac{2}{23}$ पत्रावली पेश हुई, ज्येष्ठियकरण द्वारा ज्येष्ठियकरण कर रखने से पत्रावली दिनांक <u>14/23</u> को पेश हो।</p> <p>14 $\frac{3}{23}$ पत्रावली पेश हुई, ज्येष्ठियकरण द्वारा ज्येष्ठियकरण कर रखने से पत्रावली दिनांक <u>27/23</u> को पेश हो।</p> <p>28 $\frac{3}{23}$ पत्रावली पेश हुई, वकील आर्धी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिनसे शांति कर किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। उनके सिर्फ एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील आर्धी का आग्रह स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेराल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 23/23 प्राणपत्र

1- श्री उज्जित सिंह जे. श्री शंकरसिंह राजपूत गिवासी-गाहू तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गंगाराम जे. श्री उदयराम विष्णोई गिवासी-सगेविया तहसील-माण्डल

2- श्री रायनारायण जे. श्री गण्डनाथ शर्मा गिवासी-गाहू तहसील-माण्डल

3- राजस्थान राज्य जस्टिस तहसीलदार गा. माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 28-03-23

::आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाहू पटवार हल्का गाहू तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 3034/364 कुल कित्ता 01 रकबा 0.354 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी गुतदाधिया के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.02.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकरण के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाहू पटवार हल्का गाहू तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 3034/364 कुल कित्ता 01 रकबा 0.354 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरोधक बुटासिया को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पदावसान की मौजूदगी में माके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा